बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

ज्ञापांकः–2प/BGSYS–10–04/2019/5749/प०रा० पटना, दिनांक–24/9/2020

विषयः बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना (**Bihar Panchayat Strengthening Project-BPSP**) को संचालित करने के लिए गठित "बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी" को बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था के रूप में पुर्नगठन करने एवं कार्यरत कर्मियों को बिहार राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र तथा राज्य के 38 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में संविदा पर नियोजन करने हेतु कुल 396 कार्यरत पदों को जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण सुधारों को गति प्रदान करने तथा पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न प्रभागों में सुदृढ़ीकरण पहल के समन्वयन की दिशा में कार्य किये जाने हेतु वर्ष 2010 में विश्व बैंक सम्पोषित बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के संचालन के लिए बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का गठन किया गया था।

2. पूर्व में बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना (**Bihar Panchayat Strengthening Project-BPSP**) अन्तर्गत बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का उद्देश्य एवं नीतियाँ निम्नवत थी –

(i) पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों के सामर्थीकरण एवं उनकी स्वायत्तता को सुदृढ़ करने हेतु नीति एवं प्रशासनिक वातावरण का उन्नयन।

(ii) अभिशासन क्षमता का उन्नयन, सरकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजनाओं को सूत्रबद्ध करना एवं अपने विवेक से वैसी विकास गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदी हों।

(iii) उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं अंतर्वेषी और जवाबदेह पंचायती राज अभिशासन के प्रति माँग उत्प्रेरित करना।

(iv) पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिये फैसिलिटेटर /प्रशिक्षक/निजी एवं लोक संस्थान/सिविल सोसाईटी संगठन/पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के हिमायती व्यक्तियों आदि को शामिल करना।

(v) बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यों के निर्वहन हेतु पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का निर्माण, साथ ही साथ सरकार के तत्वावधान में शीर्ष विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन।

(vi) नागरिकों को ग्राम सभाओं के प्रति उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने हेतु रचनातंत्र को सुदृढ़ करना।

(vii) पंचायतों में अपेक्षित मूलभूत संरचनाओं, जैसे पंचायत सरकार भवनों, संसाधन केन्द्रों, एम.आई.एस. एवं आई.सी.टी. के विकास इत्यादि का सृजन।

3. बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का विश्व बैंक से वित्त सम्पोषण की अवधि 30.12.2019 को समाप्त हो गई है। पंचायती

–2–

राज संस्थाओं को समावेशी, प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य की परिपूर्ति तथा इसके फलाफलों के राज्यव्यापी सफल निरूपण के दृष्टिकोण से इस परियोजना को बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 27.08.2019 एवं विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित सामान्य निकाय की बैठक दिनांक 08.07.2019 द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य को छोड़कर शेष अवयवों पर राज्य योजना मद से अगले तीन वर्षों तक एवं आगे भी कार्य हित में राज्य सरकार के मद से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. केन्द्र सरकार की योजना– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों का क्षमतावर्द्धन किया जाना है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र को महत्वपूर्ण माना गया है। उक्त आलोक में बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना हेतु पदों का सृजन विभागीय पत्रांक संख्या 6020 दिनांक 20.09.2019 द्वारा राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्राचार्य का 01 पद, सहायक निदेशक का 03 पद एवं व्याख्याता का 10 पद तथा 38 जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु प्राचार्य का 38 पद एवं व्याख्याता का 104 पद सृजित किया गया है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कार्यबल की संख्या लगभग 3 लाख हैं एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) में सम्मिलित 29 विषयों, अधिसूचित नियमावलियों, लेखा संधारण एवं दस्तावेजीकरण, ग्राम कचहरी आदि पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के विषयों की विविधता एवं प्रतिभागियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु स्वीकृत पदों के अलावा संविदा कर्मियों के संविदा शर्तों हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प सं0–12534 दिनांक 17.09.2018 के आलोक मे बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी के वर्तमान में कार्यरत 396 को अतिरिक्त प्रशिक्षक एवं कर्मियों के रूप में संविदा पर लिया जा सकता है।

5. पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण समयबद्ध एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायतों के सशक्तीकरण के लिये राज्य स्तर पर राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं राज्य के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत संसाधन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य प्रशिक्षण केन्द्र में जहां मुख्यतः गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के उद्देश्य से नीति–निर्माण, अनुसंधान एवं संसाधन सामग्री आदि विकसित की जायेगी, वहीं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के माध्यम से त्रि–स्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिनियम में प्रावधानित विषयों/कार्यों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के साथ–साथ अनुसंधान एवं अभिलेखों के प्रलेखन के कार्य भी किये जायेंगे। इन प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग सरकार के अन्य विभागों द्वारा अपने विषय से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी किया जा सकेगा। ये सभी कार्य परियोजना निदेशक (पदेन निदेशक, पंचायती राज विभाग) तथा प्राचार्य के निदेशन में किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अन्तर्गत जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में पूंजी व्यय एवं रख–रखाव लागत का प्रावधान किया गया है।

6. पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा आम लोगों की सक्रिय साझेदारी सुनिश्चित करने हेतु बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना को संचालित करने के लिए गठित "बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी" का पुनर्गठन किये जाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि सोसाईटी में वर्तमान में कार्यरत बल में से आवश्यकतानुसार राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला पंचायत संसाधन केन्द्रों में संविदा पर कार्य कराया जाये। वर्तमान में सोसाईटी में 396 पदाधिकारी एवं कर्मी कार्यरत हैं (पूर्व से स्वीकृत **Director finance & Administration, Operation & Communication, Knowledge Management, SPM Communication, SPM Audit and Accounts** के पदों की अब आवश्यकता नहीं है, इन पदों को छोड़ते हुए)। पूर्ण विवरण अनुलग्नक–1 पर दिया गया है। इन मानव बलों का उपयोग आवश्यकतानुसार राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र/जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में नीति निर्धारक/ शोधकर्त्ता/प्रशिक्षक (अनुलग्नक–2) के रूप में किया जायेगा । संविदा आधारित नियुक्ति पर ये कर्मी संबंधित पंचायत संसाधन केन्द्र के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य के प्रशासनिक निर्देशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करेंगे। पुर्नगठित सोसाईटी द्वारा मुख्यतः पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए नीति निर्माण, अनुसंधान, संसाधन सामग्री तैयार करने के साथ–साथ वर्ष भर राज्य जिला एवं प्रखंड/पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। ये सभी कार्य परियोजना निदेशक (पदेन निदेशक, पंचायती राज विभाग) तथा प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य के मार्गदर्शन, निदेशन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में कार्य योजना निर्माण से लेकर योजना के कार्यान्वयन तक सम्पादित किये जायेंगे। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी के पास राज्य, प्रखण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का अनुभव है, अतः इस सोसाईटी के कर्मियों से राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत संसाधन सेवी के रूप में कार्य लेने में सुविधा होगी। सोसाईटी के कर्मियों को बनाये रखने से राज्य/जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में कार्यालीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षक आदि के नियोजन पर आने वाले व्यय का वहन राज्य योजना मद से किया जायेगा। जिसका समायोजन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से राशि प्राप्त होने पर किया जायेगा। सोसाईटी के कार्यबल से राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र/जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में लिये जाने वाले कार्यों का विवरण अनुलग्नक 3 पर दिया गया है।

7. बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी के राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के रूप में संचालन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय

बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी के राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के रूप में क्रियान्वयन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संचालन में कुल ₹101,00,00,000.00 (एक सौ एक करोड़ रूपये मात्र) वार्षिक व्यय संभावित हैजिसकी विवरणी निम्नवत् है–

अवयव संख्या	अवयव का नाम	कुल वार्षिक व्यय (लाख रूपये में)
1	पंचायती राज संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन	**5358.00**
2	शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के उचित प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन	**505.00**
3	परियोजना का प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं समन्वयन	**4237.00**
	कुल	**10100.00**

विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–4 पर देखा जा सकता है।

कृ०प०उ०

8.निधि की व्यवस्था –

यह पद संविदा आधारित हैं तथा इन पर होने वाला व्यय भार का वहन राज्य योजना मद से किया जायेगा जिसका समायोजन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से राशि प्राप्त होने पर किया जा सकेगा अथवा द्वितीय अनुपुरक बजट/राज्य संचित निधि से अग्रिम लेकर राशि की व्यवस्था की जा सकेगी।

9. बजट शीर्ष –

माँग संख्या 16 अंतर्गत राज्य स्कीम के "मुख्य शीर्ष– 2515– अन्य विकास कार्यक्रम– उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत स्थापना–"विपत्र कोड–16–2515000010101" के अन्तर्गत प्रति वर्ष लगभग 101.00 करोड़ रूपये का व्यय किया जायेगा।

10. लोक वित्त समिति की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्राप्त है कि कोई नया पद सृजन नहीं किया जायेगा एवं वर्तमान स्वीकृत पदों के विरूद्ध कोई नया नियोजन नहीं किया जायेगा।

11. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2020 में मद सं0–56 के रूप में सम्मिलित किया गया जिसकी स्वीकृति संचिका सं0–2प/BGSYS–10–04/2019 के पृष्ठ–20 टि० पर प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

23.9.20

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2प/BGSYS–10–04/2019/5749/प०रा० पटना, दिनांक–24/9/2020

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 300 (तीन सौ) प्रतियां पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

23.9.20

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2प/BGSYS–10–04/2019/5749/प०रा० पटना, दिनांक–24/9/2020

प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीर चन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथा उपर्युक्त।

23.9.20

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

D:\Tahseen 2020\Section-02\Anup Sir\BGSY\BGSYS New\bgsys sanlekh-2.docx

ज्ञापांकः–2प / BGSYS–10–04 / 2019 / 5749 / प०रा० पटना, दिनांक–24 / 09 / 2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / परियोजना निदेशक, बिहार, ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, एवं सभी प्रचार्या जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान / सभी प्राचार्य मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम / सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत सूचनार्थ अग्रसारित।

23/9

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2प / BGSYS–10–04 / 2019 / 5749 / प०रा० पटना, दिनांक–24 / 9 / 2020

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार, विधान परिषद् / सचिव, बिहार विधान सभा / मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / महाधिवक्ता, बिहार उच्च न्यायाल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2प / BGSYS–10–04 / 2019 / 5749 / प०रा० पटना, दिनांक–24 / 9 / 2020

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2प / BGSYS–10–04 / 2019 / 5749 / प०रा० पटना, दिनांक–24 / 9 / 2020

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

(अमृत लाल मीणा)
अपर मुख्य सचिव

अनुलग्नक–1

Sanction Vs Actual				
Sl. No	Position	Sanctioned No of	Current Manpower	Deployment Plan
1	PD CUM CEO	1	1	SPRC
2	OSD	1	0	SPRC
3	SPM- Administration & Human Resource	1	1	SPRC
4	SPM- Finance	1	1	SPRC
5	SPM- Procurement	1	1	SPRC
6	SPM- Civil/ Architectural Engineer	1	1	SPRC
7	SPM- Capacity Building	1	1	SPRC
8	SPM- Water and Sanitation	1	1	SPRC
9	SPM- Monitoring and Evaluation	1	1	SPRC
10	PM- Accounts CB	1	1	SPRC
11	PM- IT	1	0	SPRC
12	PM- Documentation	1	0	SPRC
13	PM- HR	1	1	SPRC
14	PM- Capacity Building	1	1	SPRC
15	PM- Procurement	1	1	SPRC
16	Accounts Officer	2	1	SPRC
17	Cashier	1	1	SPRC
18	Steno Cum PA	2	1	SPRC
19	Assistants	4	4	SPRC
20	Receptionist (Outsourced Employee)	1	0	SPRC
21	Data Entry Operators (Outsourced Employee)	4	3	SPRC
22	Security (Outsourced Employee)	6	5	SPRC
23	Housekeeping (Outsourced Employee)	1	1	SPRC
24	Drivers (Outsourced Employee)	3	3	SPRC
25	Office Boys (Outsourced Employee)	6	6	SPRC
	(A)	**45**	**37**	
1	District Project Manager	12	5	DPRC
2	District Social Development Coordinator	12	8	DPRC
3	District Water Sanitation Coordinator	12	5	DPRC
4	District M & E Coordinator	12	9	DPRC
5	District Finance Manager	12	5	DPRC
6	District Panchayat Finance Coordinator	12	8	DPRC
7	Accountant	12	2	DPRC
8	Cashier	12	2	DPRC
9	Assistant Cum Data Entry Operator (Outsourced)	12	0	DPRC
10	Office Boy (Outsourced)	12	12	DPRC
	(B)	**120**	**56**	
1	Block Project Manager	204	144	DPRC
2	Block Facilitator	204	99	DPRC

3	Block Account Facilitator	204	52	Attached to DPRO
	(C)	**612**	**295**	
1	Consultant	0	5	
2	Young Professional	0	3	
	Total Manpower A+B+C	**777**	**396**	

Details:-

Project Staff's	**Current Manpower**
SPMU	18
DPMU	45
BPMU	295
Total Project Staff's	**358**

Outsourced Staff's	**Current Manpower**
SPMU	18
DPMU	12
Total Outsourced Staff's	**30**

Consultant	**Current Manpower**
SPMU	5
Total	**5**

Young Professional	**Current Manpower**
SPMU	2
DPMU	1
Total	**3**
Total current Manpower count	**396**

जिला स्तरीय कार्यरत्त बल

अनुलग्नक–2

Sl. No.	Name of Office	District Name	Post of Trainers	Actual Strength
1	District Panchayat Resource Center, East Champaran	East Champaran	37	17
2	District Panchayat Resource Center, Patna	Patna	33	15
3	District Panchayat Resource Center, Madhubani	Madhubani	30	14
4	District Panchayat Resource Center, Muzaffarpur	Muzaffarpur	23	11
5	District Panchayat Resource Center, Samastipur	Samastipur	30	13
6	District Panchayat Resource Center, Gaya	Gaya	35	15
7	District Panchayat Resource Center, Darbhanga	Darbhanga	25	12
8	District Panchayat Resource Center, Saran	Saran	29	13
9	District Panchayat Resource Center, West Champaran	West Champaran	26	12
10	District Panchayat Resource Center, Siwan	Siwan	26	12
11	District Panchayat Resource Center, Vaishali	Vaishali	22	11
12	District Panchayat Resource Center, Sitamarhi	Sitamarhi	23	11
13	District Panchayat Resource Center, Nalanda	Nalanda	29	13
14	District Panchayat Resource Center, Purnia	Purnia	18	9
15	District Panchayat Resource Center, Rohtas	Rohtas	26	12
16	District Panchayat Resource Center, Bhagalpur	Bhagalpur	22	11
17	District Panchayat Resource Center, Katihar	Katihar	22	11
18	District Panchayat Resource Center, Gopalganj	Gopalganj	18	9
19	District Panchayat Resource Center, Begusarai	Begusarai	25	12
20	District Panchayat Resource Center, Bhojpur	Bhojpur	18	9
21	District Panchayat Resource Center, Araria	Araria	11	6
22	District Panchayat Resource Center, Aurangabad	Aurangabad	14	7
23	District Panchayat Resource Center, Nawada	Nawada	18	9
24	District Panchayat Resource Center, Banka	Banka	14	7
25	District Panchayat Resource Center, Supaul	Supaul	14	7

जिला स्तरीय कार्यरत्त बल

अनुलग्नक–2

Sl. No.	Name of Office	District Name	Post of Trainers	Actual Strength
26	District Panchayat Resource Center, Madhepura	Madhepura	17	9
27	District Panchayat Resource Center, Jamui	Jamui	13	7
28	District Panchayat Resource Center, Saharsa	Saharsa	13	7
29	District Panchayat Resource Center, Kaimur	Kaimur	14	7
30	District Panchayat Resource Center, Buxar	Buxar	14	7
31	District Panchayat Resource Center, Khagaria	Khagaria	10	5
32	District Panchayat Resource Center, Kishanganj	Kishanganj	10	5
33	District Panchayat Resource Center, Munger	Munger	11	6
34	District Panchayat Resource Center, Jehanabad	Jehanabad	10	5
35	District Panchayat Resource Center, Lakhisarai	Lakhisarai	10	5
36	District Panchayat Resource Center, Arwal	Arwal	7	3
37	District Panchayat Resource Center, Sheikhpura	Sheikhpura	8	4
38	District Panchayat Resource Center, Sheohar	Sheohar	7	3
	Total		**732**	**351**

नोट : प्रखण्ड लेखा समन्वयक लेखा संबंधित प्रशिक्षण कार्यों के अतिरिक्त जिला पंचायती राज पदाधिकारी (पंचायती राज विभाग, बिहार)के कार्यालय में लेखा संबंधित कार्यों में सहयोग करेंगे।

अनुलग्नक 3

राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र में सोसाईटी के कर्मियों की प्रस्तावित भूमिका :–

क्रम संख्या	वर्तमान पद	संख्या	न्यूनतम योग्यता	न्यूनतम कार्य अनुभव	प्रशिक्षण का अनुभव	प्रस्तावित कार्य SPRC शोधकर्मी,	प्रशिक्षक	प्रबंधन
राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र								
1.	राज्य परियोजना प्रबंधक	08	स्नातकोत्तर / **CA/ICWA/ MBA/B.Tech (Civil) /Other Relevant Degree**	7 वर्ष	7 से 30 वर्ष तक	3	3	2
2	परामर्शी	05	स्नातकोत्तर / **CA/ICWA/ MBA /B.Tech (Civil)**			01	04	
3	परियोजना प्रबंधक	04	स्नातकोत्तर / **CA/ICWA/ MBA**	05 वर्ष			02	02
4	लेखा अधिकारी	01	स्नातकोत्तर / **CAinterners/ICWA Internece/MBA**					01
5	कैशियर	01	**B.Com, CAinterners/ ICWA Internece/**	02 वर्ष				01
6	आशुलिपिक	01	स्नातक					01
7	सहायक	04	स्नातक	02 वर्ष				04
8	यंग प्रोफेसनल	03	स्नातकोत्तर / **MBA**				03	
जिला पंचायत संसाधन केन्द्र								
9	जिला परियोजना प्रबंधक	05	स्नातकोत्तर	05 वर्ष			03	02
10	जिला वित्तप्रबंधक	05	स्नातकोत्तर / **CA/ICWA**	03 वर्ष			03	02

11	जिला जल एवं स्वच्छता समन्वयक	05	स्नातकोत्तर	03 वर्ष			05	
12	जिला सामाजिक विकास समन्वयक	09	स्नातकोत्तर	03 वर्ष			07	02
13	जिला अनुश्रवण एवं मुल्यांकन	09	स्नातकोत्तर	03 वर्ष			07	02
14	जिला पंचायत वित्त समन्वयक	08	स्नातकोत्तर	03 वर्ष			08	
15	जिला लेखापाल	02	स्नातक कौमर्स	02 वर्ष				02
16	जिला कैशियर	02	स्नातक कौमर्स	02 वर्ष				02
17	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक	145	स्नातक	02 वर्ष			123	22
18	प्रखण्ड फैसिलिटेटर	100	स्नातक	02 वर्ष			83	17
19	प्रखण्ड वित्त फैसिलिटेटर	52	स्नातक कौमर्स	02 वर्ष			52	

बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी को बिहार **राज्य पंचायत संसाधन** केन्द्र **एवं जिला पंचायत संसाधन केन्द्र के रूप में संचालन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय**

अवयव संख्या	अवयव का नाम	विवरण	इकाई	गणना	मासिक	वार्षिक व्यय	कुल वार्षिक व्यय (लाख में)
1	पंचायती राज संस्थाओं का क्षमतावर्द्धन	मुखिया को 4 विभिन्न विषयों पर (दो दिवसीय) प्रशिक्षण (8387) @ 1100/- प्रति व्यक्ति	4	₹1100x2दिनx4 प्रशिक्षण		73,805,600.00	738.06
		वार्ड सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण (114000) @ 800/- प्रति व्यक्ति दो प्रशिक्षण	2	₹800x2दिनx2		364,800,000.00	3648.00
		संचार, शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (पोस्टर, पैम्फलेट, हैंडबुक, रेडियो प्रसारण, लघु फिल्म, जागरूकता अभियान आदि)				75,000,000.00	750.00
		अन्य क्रियाकलाप एवं अन्यान्य				22,194,400.00	221.94
		कुल (1)				**535,800,000.00**	**5358.00**
2	शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के उचित प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन	प्रशिक्षण, राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र को सहायता (एस.पी.आर.सी. बजट के अतिरिक्त)				50,000,000.00	500.00
		अन्यान्य				500,000.00	5.00
		कुल (2)				**50,500,000.00**	**505.00**
3	परियोजना का प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं समन्वयन	सोसाईटी एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन			24580000	295,000,000.00	2950.00
		राज्य एवं जिला कार्यालय का किराया, कर्मियों का भत्ता			2500000	30,000,000.00	300.00
		परामर्शियों का वेतन	10		60000	7,200,000.00	72.00
		आई.सी.टी., एम.आई.एस., आई.टी. उपकरण एवं प्रशिक्षण			5000000	60,000,000.00	600.00
		कार्यालय रख-रखाव (विद्युत, टेलीफोन, मोबाईल, वाहन आदि)			1500000	18,000,000.00	180.00
		यात्रा भत्ता			1000000	12,000,000.00	120.00
		अन्यान्य				1,500,000.00	15.00
		कुल (3)				**423,700,000.00**	**4237.00**
		कुल (1+2+3)				**1,010,000,000.00**	**10100.00**